



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1159]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2008/श्रावण 22, 1930

No. 1159]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2008/SRAVANA 22, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2008

आयकर

का.आ. 2037(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल, 2007 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पचहत्तर प्रतिशत की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल, 2008 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागत स्फीति सूचकांक विनिर्दिष्ट करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 709(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“28

2008-09

582”

[अधिसूचना सं. 86/2008/फा. सं. 142/8/2008-टीपीएल]

कमलेश चन्द्र वाष्णीय, निदेशक (टी.पी.एल.)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 709(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन का.आ. 1356(अ), तारीख 3 अगस्त, 2007 द्वारा किया गया।